<u>न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर, जिला–अजमेर (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>दीवानी वाद संख्या 13/2024</u>

इण्डसइण्ड बैंक बनाम इन्तेखाब आलम व अन्य

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम

उपस्थित

1– श्री अवतार सिंह, विद्वान अधिवक्ता, वादी बैंक की ओर से।

2– श्री गणेशीलाल अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से।

3– प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक–29.11.2025</u>**

1. वादी बैंक की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिनांकित 09.01.2025 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 30.08.2008 को वादी बैंक द्वारा पुलिस को दी गई सूचना व कार्यवाही पुलिस, एफ.आई.आर. संख्या 173/2008, पुलिस थाना सदर कोतवाली, अजमेर, जी.एस.बैरवा के धारा 161 दं.प्र.सं. के बयान, पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट संख्या–123/2008 की प्रमाणित प्रतियां एवं वादी बैंक में अप्रेल, 2009 की ऑडिट रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 26, अग्रवाल मोटर्स द्वारा वादी बैंक को दी गई शिकायत की प्रति, वादी बैंक द्वारा दिनांक 09.02.2008 को अग्रवाल मोटर्स के खाते में जमा करवायी गयी राशि की क्रेडिट स्लीप, श्री थांवरदास ट्रेडर्स् द्वारा वादी बैंक को की गई शिकायत एवं वादी बैंक द्वारा श्री थांवरदास ट्रेडर्स् को दिया गया पे–आर्डर, मैसर्स जेन्टील कम्प्यूटर सर्विसेज द्वारा वादी बैंक को जमा करवाई गई राशि 35,000/–, 47,000/– व 4,000/– रूपये की रसीदें व जेन्टील कम्प्यूटर सर्विसेज द्वारा वादी बैंक को की गई शिकायत है, जिनकी मूल प्रतियां बैंक शिफ्टिंग के समय गुम हो गई है, जिनको हर संभव भरसक प्रयास के बावजूद नहीं मिल पायी है, ना ही मिलने की अब कोई संभावना है। अतः प्रार्थना–पत्र के चरण संख्या 2 में वर्णित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां तथा चरण संख्या 5 में वर्णित दस्तावेजात की फोटोप्रतियां जो कि पत्रावली पर पूर्व से ही उपलब्ध है, को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में रिकार्ड पर लेते हुए, साक्ष्य में पढ़े जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना–पत्र के समर्थन में वादी बैंक के मैनेजर श्री अनुपम शर्मा ने शपथ–पत्र पेश किया।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि प्रार्थना–पत्र साक्ष्य अधिनियम के तहत परिधि में नहीं आने के कारण चलने योग्य नहीं है। धारा 161 दं.प्र.सं. के बयान अन्यथा

भी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उक्त दस्तावेज फौजदारी प्रकरण का रेकार्ड है, जिनकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर प्रस्तुत की जा सकती हैं, तभी वह द्वितीयक साक्ष्य की परिधि में आती है। ऑडिट रिपोर्ट अधूरी व अस्पष्ट है, इसलिए केवल मात्र एक पृष्ठ को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। बैंक में से दस्तावेजात कब गुम हुए, बैंक को कब, किस तारीख, महीना व वर्ष को कहां से कहां शिफ्ट किया गया, सब तथ्य मिथ्या व विवरणहीन है। फोटोप्रतियां मूल से कराई हुई हो, ऐसा कोई अंकन आवेदन व शपथ–पत्र में नहीं है तथा न ही चरण संख्या 5 के संबंध में धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने जवाब के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र कुमार परिहार ने शपथ–पत्र पेश किया।

3 बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली व संबंधित प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

4. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता वादी बैंक ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि हस्तगत वाद रूपये वसूली का होकर उसमें की गई फौजदारी कार्यवाही से संबंधित पुलिस रिपोर्ट, एफ.आई.आर., जी.एस.बैरवा के बयान, पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप–पत्र की प्रमाणित प्रतियों को तथा अन्य जो पांच दस्तावेज, जिनकी फोटोप्रतियां प्रस्तुत की गई हैं, को रेकार्ड पर लेने से वाद का उचित न्याय निर्णयन होगा। उक्त दस्तावेजात वाद की विषय वस्तु के लिए आवश्यक प्रकृति के दस्तावेजात हैं, जिनके अभाव में वाद का न्याय निर्णयन किये जाने में असुविधा होगी। अतः प्रार्थना–पत्र में वर्णित दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने का का निवेदन किया।

5. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से तर्क पेश किया गया है, हस्तगत वाद एक सिविल प्रकृति का होकर, रूपये की वसूली का है, जिसमें की गई फौजदारी कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात तथा बैंक के पास उपलब्ध अपने रेकार्ड की फोटोप्रतियों को रेकार्ड पर लेने से वाद के न्याय निर्णयन में कोई सहायता नहीं होगी, वरन् वाद में अनावश्यक रूप से जटिलता बढ़ेगी। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित दस्तावेजात की फोटोप्रतियां का मूल रेकार्ड वादी बैंक के अनुसार उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनकी सत्यता संदेह से परे साबित नहीं है। विकल्प में उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित दस्तावेजात सत्यापित प्रतिलिपि हैं, जिन्हें रेकार्ड पर लेने पर उन्हें आपत्ति नहीं है, परन्तु प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित दस्तावेजात का प्रश्न है, उक्त दस्तावेजात की सत्यापित प्रतिलिपियां पेश नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजात को रेकार्ड पर नहीं लिये जाने का निवेदन करते हुए, प्रार्थना–पत्र सव्यय खाारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि वादी बैंक की ओर से पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही के दौरान दिनांक 08.08.2018 को भी इसी आशय का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पेश कर प्रार्थना–पत्र में वर्णित दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया था, जिसे उसी दिवस को स्वीकार किया गया था। उक्त आदेश व

एक पक्षीय निर्णय दिनांक 20.12.2018 को निरस्त कर वाद को पुनः नम्बर लिये जाने के आदेश पारित किये जाने के पश्चात नवीन प्रार्थना–पत्र उन्हीं दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिये जाने का साक्ष्य वादी की स्टेज पर पेश किया गया है, जिनमें से प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियां होकर न्यायालय के रेकार्ड से संबंधित है, जिन्हें रेकार्ड पर लेने से प्रतिवादी संख्या 2 के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उक्त दस्तावेजात का खण्डन वह साक्ष्य वादी में अथवा स्वयं की साक्ष्य से कर सकता है। अतः प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिया जाता है। जहां तक प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित दस्तावेजात का सम्बन्ध है, तो ये सभी दस्तावेजात फोटो प्रतियां है, जिनके मूल के बारे में वादी बैंक की ओर से यह कथन किया गया है कि बैंक शिफ्टिंग के दौरान कहीं गुम हो गई हैं। इस प्रकार चरण संख्या 5 में अंकित दस्तावेजात वादी के कथनों के अनुसार मूल फिलहाल उपलब्ध नहीं है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित दस्तावेजात की यदि वादी बैंक असल/सत्यापित प्रतियां पेश करता है, तो उन्हें रेकार्ड पर लेने में किसी प्रकार की विधिक बाधा नहीं हैं। फोटोप्रतियां रेकार्ड पर लेने से वाद के न्याय निर्णयन में किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं होती है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने हेतु यदि वादी बैंक असल अथवा सत्यापित प्रतियां पेश करें तो रेकार्ड पर लिया जाता है। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

7. आदेश आज दिनांक 29.11.2025 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर